1C

R-831-II/12

1- बुद्धसेन गोंड़

2- रामसिंह गोंड़, दोनों पिता पुसऊ गोंड

दोनों निवासी ग्राम असवारी तहसील जयसिंहनगर

जिला-शहडोल (म0 प्र0) ... पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

रामनाथ ब्राम्हण पिता केमला ब्राम्हण निवासी

ग्राम असवारी तहसील जयसिंहनगर, जिला-शहडोल

(म0 प्र0) ... गैरपुनरीक्षणकर्ता

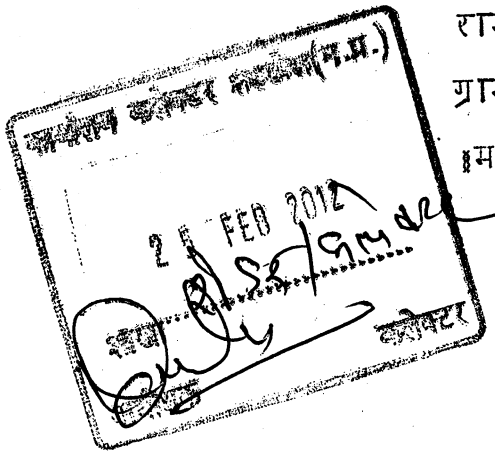

श्रीमान् कलेक्टर महोदय शहडोल द्वारा प्रकरण क्रमांक- 56/निगरानी/2011-12 शीर्षक बुद्धसेन गो वगैरह विरूद्ध रामनाथ ब्राम्हण में पारित आदेश दिनांक- 31-01-2012 के विरूद्ध पुनरीक्षण

....

कलेक्टर (म.प्र.) 2 FEB 2012

क्रमांक 634 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 12-3-12 को प्राप्त 12-3-12

मान्यवर,

प्रार्थीगण यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन करते हैं -

मामले के तथ्य

....

उपरोक्त गैरपुनरीक्षणकर्ता ने पुनरीक्षणकर्तागण के विरूद्ध श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय गोहपारू के न्यायालय में धारा- 250 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता का एक दावा प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्रमांक- 231 रकबा 0.25 एकड़ के अंश भाग 0.08 एकड़ स्थित ग्राम असवारी पटवारी हल्का गोहपारू तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से बेदखल करने के लिये प्रस्तुत किया गया था जिसमें माननीय विचारण न्यायालय ने दिनांक- 30-12-2010 को पुनरीक्षणकर्तागण के विरूद्ध इस आशय का आदेश पारित कियागया था कि, अनावेदक(पुनरीक्षणकर्तागण) विवादित भूमि से 15 दिवस के भीतर कब्जा हटा लेवे, उक्त दिनांक से व्यथित होकर पुनरीक्षण कर्तागण ने श्रीमान् एस.डी.ओ. सोहागपुर के

नि अ बुद्धसेन

रामसिंह

vXXXa BR H-11

राजस्व् मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

बुद्ध सेन गौड़ / रामलखन

प्रकरण कमांक निग0 831–तीन / 12 **जिला –शहडोल**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20/4/16	आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर शहडोल के प्रकरण कमांक 56 / निग0 / 2011–12 आदेश दिनांक 31–01–2012 से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । प्रकरण संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक ने नायब तहसीलदार गोहपारू के न्यायालय में खसरा कमांक 231 रकवा 0.25 एकड़ के अंश भाग 0.08 एकड़ ग्राम असवारी से बेदखल करने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया । नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 30–02–2010 को आवेदक के विरूद्ध 15 दिवस के भीतर कब्जा हटाने का आदेश पारित किया । नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी सुहागपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 12–08–11 को सिविल कारागार में भेजने का नोटिस दिया । अनुविभागीय अधिकारी के दिनांक 12–08–11 के आदेश से व्यथित होकर कलेक्टर, न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की । कलेक्टर, ने निगरानी निरस्त कर दी उसके विरूद्ध इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । निगरानी आवेदन पत्र के साथ में आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी आदेश की सत्यापित प्रति प्रस्तुत नहीं की । तथा निगरानी में यह संशोधन करने हेतु आवेदन दिया की अनुविभागीय अधिकारी सुहागपुर न्यायालय में तहसील के	

आदेश के विरूद्ध अपील लंबित थी । जो दिनांक 16–03–12 को निरस्त हो चुकी है । जिसकी द्वितीय अपील आयुक्त, शहडोल के समक्ष प्रस्तुत की है । इस प्रकार स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के प्रथम अपील में किये गये आदेश के विरूद्ध आयुक्त, न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की है । अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में ऐसी कौनसी त्रुटि की है जिसके आधार पर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । यह भी आवेदक अभिभाषक नहीं बता सके । अतः उक्त स्थिति में निगरानी ग्राहयता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है ।

सदस्य